

FORM NO. III

(C)

फर्द अहकाम

2022/158

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी जि. चित्तौड़गढ़ मुकदमा

डा. जयपाल सिंह वनाम जगद्वी लाल

किस्म मुकदमा 57-47/28 108/2022 सुन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का शीर्षक/विवरण	नम्बर व नारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25/5/22	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>पारकोनी</u>.....की ग्राम.....<u>68 खख 0.43 हे.</u>.....की आ.न.....<u>68 खख 0.43 हे.</u>.....की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये <u>1000/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>[Signature]</u> उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	

